163

संख्या– /IV(3)/4(30)/2014

प्रेषक,

डी०एस० गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांकः 8 जनवरी, 2015

***विषय*–हरिद्वार में वन समाधी के निकट बाई–पास मार्ग से चण्डीद्वीप को जोड़ने हेतु हरिद्वार डेम स्कैप चेनल पर अस्थायी क्रेट सेतु निर्माण एवं डिस्मेंटलिंग के कार्य की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मेलाधिकारी, हरिद्वार के पत्र संख्या–184/अ0कु0मे0/अस्थाई सेतु, दिनांकः 17–11–2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हरिद्वार में वन समाधी के निकट बाई–पास मार्ग से चण्डीद्वीप को जोड़ने हेतु हरिद्वार डेम स्कैप चेनल पर अस्थायी क्रेट सेतु निर्माण एवं डिस्मेंटलिंग कार्य के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये रू0 48,61,000 के आगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रू0 43,60,000 (रू0 तेतालिस लाख साठ हजार मात्र) तथा रू0 4,33,000 (रू0 चार लाख तेतीस हजार मात्र) के कार्य "उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008" के अनुसार कराये जाने पर भी स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस प्रकार प्रश्नगत कार्य हेतु कुल धनराशि रू0 47,93,000 (रू0 सैंतालीस लाख तेरानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उक्त समस्त धनराशि रू0 47,93,000 (रू0 सैंतालीस लाख तेरानवे हजार मात्र) हरिद्वार विकास प्राधिकरण के पी0एल0ए0 में उपलब्ध गत् महाकुम्भ मेला, 2010 की धनराशि में से आहरित करते हुए व्यय किए जाने की भी सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः–

(i) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

(ii) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि की स्वीकृति गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(iv) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

(v) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(vi) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(vii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

(viii) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व करा लिया गया है। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय व कार्य निश्चित समयावधि में पूर्ण किया जाय।

(ix) निर्माण कार्य का पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा तथा कार्य की थर्ड पार्टी क्वालिटी चैकिंग कराई जाएगी।

(x) आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु संबंधित कार्यदायी संस्था एवं मेलाधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(xi) अस्वीकृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाएगी। साथ ही यह परिवर्तन स्वीकृत धनराशि की सीमान्तर्गत ही किया जाएगा।

(xii) प्रश्नगत कार्य का गहन निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण मेलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा किया जाएगा।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों, वित्तीय हस्त पुस्तिका व बजट मैनुअल के अनुसार किया जाय।

3– टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत आगणन की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया टी0ए0सी0 द्वारा जिन–जिन निर्माण कार्यो में परीक्षणोपरान्त धनराशि इंगित की गयी है, उसके अनुरूप निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय हेतु धनराशि हरिद्वार विकास प्राधिकरण के पी0एल0ए0 में उपलब्ध गत् महाकुम्भ मेला, 2010 की धनराशि में से आहरित की जाएगी।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–594/XXVII(2)/14, दिनांक 08, जनवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

/

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या– 79 (1)/IV(3)/4(30)/2014, तद्दिनांकः:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।

2–महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, सी0–1/105, इन्दरा नगर, देहरादून।

3–सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4–मेलाधिकारी, हरिद्वार।

5–उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

6–मुख्य अभियन्ता/नोडल अधिकारी, लोक निर्माण विभाग देहरादून।

7–निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

8–अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार।

9–अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग हरिद्वार।

10–वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।

11–वित्त अनु0–2

12–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रईस अहमद)

अनु सचिव।